

श्योजीराम बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण  
प्रार्थना पत्र संख्या जीसीएमएस नम्बर 2021/82

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो  
इस हुक्म की  
तामील में जारी  
हुए

12.07.22

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित उनकी बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि प्रकरण पूर्व में गुणावगुण पर निस्तारित न होकर अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हुआ जिसका गुणावगुण पर निस्तारण आवश्यक है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाजदायरी स्वीकार किया जाना उचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाजदायरी स्वीकार किया जाता है तथा मूल अपील को रेस्टोर किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। हस्तगत प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा हमफीता मूल अपील रहे। आदेश सुनाया गया।

(विकास एस.भाले)  
संभागीय आयुक्त,  
जयपुर